झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

487
26/03/2026

अधिसूचना

संख्या 8/वि.1–04/2018.....487./ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) के अधीन झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते है:–

अध्याय–1 प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :–**

(क) यह नियमावली "**झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली–2026**" कही जायेगी।

(ख) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(ग) यह नियमावली, राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ :–**

(क) "**राज्य सरकार**" से तात्पर्य है, झारखण्ड सरकार ।

(ख) "**विभाग**" से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।

(ग) "**अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव**" से तात्पर्य है, झारखण्ड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में सरकार के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।

(घ) "**निदेशक**" से तात्पर्य है निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड सरकार।

(ङ) "**जिला शिक्षा अधीक्षक**" से तात्पर्य है झारखण्ड राज्य के किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी ।

MKA

(च) **"प्रारंभिक विद्यालय"** से तात्पर्य है झारखण्ड राज्य अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक सरकार द्वारा वित्त पोषित/ अनुदान प्राप्त अथवा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय।

- "प्राथमिक विद्यालय" से तात्पर्य है ऐसे प्रारंभिक विद्यालय जहां कक्षा 1 से 5 तक के कक्षा की पढ़ाई होती हो।
- "उच्च प्राथमिक विद्यालय" से तात्पर्य है ऐसे प्रारंभिक विद्यालय जहां कक्षा 6 से 8 तक के कक्षा की पढ़ाई होती हो।

(छ) **"प्रशिक्षित"** से तात्पर्य है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त और उत्तीर्ण हो।

(ज) **"मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण"** से तात्पर्य है कि इस नियमावली मे उल्लेखित एवं वाँछित शिक्षक प्रशिक्षण, चाहे जो नियमित रुप से अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किये गये हों, परन्तु

(i) यदि शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के प्रभावी होने की तिथि 01.07.1995 के बाद प्राप्त हों तो यह शिक्षक प्रशिक्षण मात्र उन प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त एवं उत्तीर्ण किये गये हों, जिन्हें ये शिक्षक प्रशिक्षण प्रदत्त करने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की मान्यता अनिवार्यतः प्राप्त हो।

(ii) यदि शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के प्रभावी होने की तिथि 01.07.1995 के पूर्व प्राप्त हों, तो ये शिक्षक प्रशिक्षण मात्र उन प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त एवं उत्तीर्ण किये गये हों, जिन्हें ये शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उस राज्य, जहाँ वे अवस्थित हों, की राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता अनिवार्यतः प्राप्त हों।

(झ) **"सहायक आचार्य"** से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने वाले व्यक्ति।

(ञ) **"परीक्षा प्राधिकार"** से तात्पर्य है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार जो नियमावली के प्रावधानों के अधीन झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी।

(ट) **"अर्हक परीक्षा"** से तात्पर्य है, झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा।

(ठ) **"विशेष शिक्षा प्रशिक्षण"** से तात्पर्य है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय पुर्नवास परिषद् के द्वारा विशेष शिक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं मान्यता के अनुरूप प्रशिक्षण में उत्तीर्णता।

(ड) **"अधिनियम"** से तात्पर्य है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35)।

(ढ) **"राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.)"** से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 23(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अकादमिक प्राधिकार।

(ण) **"विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य"** :– भारतीय पुनर्वास परिषद्, द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से निर्धारित योग्यता के अनुसार विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, जो प्रारंभिक विद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य करते हों।

(त) **सहायक आचार्य (उर्दू)** से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू भाषा एवं विषय के शिक्षण हेतु अहर्त्ताधारी सहायक आचार्य।

अध्याय–2 शिक्षक पात्रता परीक्षा

3. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 (1) के अन्तर्गत शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम अहर्ता निर्धारित करने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.), केन्द्र सरकार द्वारा अकादमिक प्राधिकार अधिसूचित है। शिक्षक के रूप में नियुक्ति की न्यूनतम अहर्ता निर्धारित करने के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्गत सभी आदेश/निर्देश/संशोधन स्वतः इस नियमावली के अध्याय–2 का अंश होगा।

4. इस नियमावली के अध्याय–2 के कंडिका–6 में वर्णित न्यूनतम अहर्ता एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ता में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा दुविधा होने पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ता प्रभावी होगी।

5. शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जाँच हेतु झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन झारखण्ड अधिविद्य परिषद् या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थी "प्रारंभिक विद्यालय (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय)" में नियुक्ति हेतु अहर्ता के पात्र होंगे।

6. झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अहर्त्ताएँ निम्नवत् होंगी :

(क) भारत का नागरिक हो,

(ख) शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्ताएँ :

(i) <u>**प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1–5 के लिए)**</u>

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो), [जो दिनांक 09.12.2007 या उसके बाद प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हों,]

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम–2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। [जो दिनांक 09.12.2007 के पूर्व प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हो चुके हों]

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

(ii) उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6–8 के लिए)

स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (या इसके समकक्ष) या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.) [जो दिनांक 29.07.2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों]

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.) अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जो इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। [जो दिनांक 29.07.2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों]

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए/बी.एस सी.एड. (BA, B.Sc, B.Ed.) या बी.ए.एड. (BA.Ed.)/बी.एस सी.एड. (BSc,Ed.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा बी.एड. (विशेष शिक्षा)

अथवा

न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 03 वर्षीय एकीकृत बी.एड.–एम.एड.

परन्तु, राज्य के उच्च प्राथमिक (कक्षा 6–8 के लिए) विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा के लिए निम्न विषयों में न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा–

MKA

(i) **गणित एवं विज्ञान शिक्षक**–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डिग्रियों का विनिर्देशन (Specification of Degrees) के संबंध में जारी अधिसूचना, मार्च–2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित विज्ञान/अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम् 03 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों तथा 10+2 या उच्चतर माध्यमिक; गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम से कम दो विषय के साथ उत्तीर्ण हों।

(ii) "**सामाजिक विज्ञान शिक्षक**–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डिग्रियों का विनिर्देशन (Specification of Degrees) के संबंध में जारी अधिसूचना, मार्च–2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित, कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान/वाणिज्य/प्रबंधन विषय में न्यूनतम् 03 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों,"

(iii) **भाषा शिक्षक**– नियमावली के अनुसूची–I में अंकित किसी एक भाषा अथवा हिंदी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू भाषा में न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक या स्नातक (प्रतिष्ठा) उत्तीर्ण। इस संबंध में भविष्य में किये गये संशोधन स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे।

7. **प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 के लिए) विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य**– नियमावली के नियम–6 (ख) (i) में वर्णित +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में प्रशिक्षण के सत्र/वर्ष अनुरूप 50% / 45% अंकों के साथ उत्तीर्णता (09.12.2007 के पूर्व प्रारम्भ प्रशिक्षण सत्र में 45% एवं 09.12.2007 अथवा उसके बाद प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में 50%) के अतिरिक्त भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से विशेष शिक्षा में निम्नलिखित प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करते हों :–

किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में दो वर्षीय D.Ed (XII[th] passed and 2 years D.Ed. Special Education in any of the categories of disability)

अथवा

किसी भी दिव्यांगता श्रेणी में एक–वर्षीय विशेष शिक्षा में डिप्लोमा। (XII[th] passed and 1 year Diploma in Special Education (DSE) in any of the categories of disability.)

अथवा

सामुदायिक पुनर्वास में डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course (Diploma in Community Based Rehabilitation (DCBR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

अथवा

MKA

सामुदायिक पुनर्वास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course (Post Graduate Diploma in Community Based Rehabilitation (PGDCBR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

अथवा

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course के साथ Multi Rehabilitation Worker (MRW) में डिप्लोमा (Diploma in Multi Rehabilitation Worker (MRW) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

अथवा

बहरापन दिव्यांग को पढ़ाने में कनीय डिप्लोमा (Junior Diploma in Teaching the Deaf.)

अथवा

दृष्टि दोष में प्रारंभिक स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण। (Primary level Teacher Training course in Visual Impairment.)

अथवा

(Diploma in Vocational Rehabilitation-Mental Retardation (DVR-MR)/Diploma in Vocational Training and Employment-Mental Retardation (DVTE-MR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

अथवा

(Diploma in Hearing Language and Speech (DHLS) with 6 months Certificate course in Education of Children with special Needs.)

8. **उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 8 के लिए) विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य–** नियमावली के नियम–6 (ख) (ii) एवं उसके परन्तुक में वर्णित शैक्षणिक योग्यता में प्रशिक्षण सत्र/वर्ष के अनुरूप 50% / 45% अंकों के साथ संबंधित विषय में न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक (29.07.2011 के पूर्व प्रशिक्षण सत्र में 45% एवं 29.07.2011 अथवा उसके बाद प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में 50%) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से निम्नांकित प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी :–

Graduate with B.Ed. (Special Education) from a RCI approved Institute and possess a valid RCI CRR No.

OR

B.Ed. (General) with one year Diploma in Special Education / B.Ed (General) with two years Diploma in Special Education with a recognized qualification (Certificate/Diploma*) from a RCI approved

MKA

Institution equivalent to B.Ed. in Special Education and possess a valid RCI CRR No.

OR

B.Ed (General) with Post Graduate Professional Diploma in Special Education (PGPD)/ B.Ed (Special Education) with Post Graduate Professional Certificate in Special Education (PGPC) / (PG Diploma in Special Education (Mental Retardation) / PG Diploma in Special Education (Muliple Disability : Physical & Neurological) / PG Diploma in Special Education (Locomotor Impairment and Cerebral Palsy) / Secondary Level Teacher Training Course in Visual Impairment / Senior Diploma in Teaching the Deaf / BA B.Ed in Visual Impairment.

नोटः– *1.* कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हों एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों।

2. शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

3. विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी विवाद की स्थिति में भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, कमजोर जनजातीय समूह (पी.भी.टी.जी.) सहित/ पिछड़ा वर्ग–1/अत्यंत पिछड़ा वर्ग–2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्रशिक्षण सत्रानुसार, न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

10. **(क)** अभ्यर्थी संगत पद हेतु प्रावधानित झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व नियम–**6 (ख)** (i), **6 (ख)** (ii), **7** एवं **8** में विनिर्दिष्ट योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अहर्त्ता धारित करना अनिवार्य होगा।

परन्तु निर्धारित/विहित प्रशिक्षण की योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे आवेदकों को भी इस शर्त्त के साथ झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच, संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर, प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापित अंतिम अंक पत्र समर्पित करना होगा, जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन, परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में किया जायेगा। एतद् संबंध में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं.

5564/2019 में पारित आदेश के आलोक में निर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का पत्रांक 112852 दिनांक 04.08.2022 प्रभावी होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई हो, से तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। उनके अभ्यर्थित्व का अंतिम सत्यापन सहायक आचार्य (वर्ग 01–05 एवं वर्ग 06–08) तथा विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (वर्ग 01–05 एवं वर्ग 06–08) के लिए निर्गत नियमावली में घोषित नियुक्ति प्राधिकार, संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक के पास सुरक्षित रहेगा।

(ग) कोई भी अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक में सुधार के लिए एक से अधिक बार परीक्षा में शामिल हो सकेगा।

(घ) आयु सीमा : झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन वर्ष के 01 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा।

परन्तु (i) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) जिनकी सेवा परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हों की संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जायेगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा।

(ii) सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल अवधि में एक वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।

उदाहरणस्वरूप– यदि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 में होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा 2026 में हो, तो एक वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम नौ वर्ष की छूट एकबारीय (One Time) अवसर के रूप में दी जाएगी।

11. झारखंड शिक्षक पात्रता जाँच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा –

(क) पात्रता जाँच परीक्षा के दो स्तर यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे और कोई अभ्यर्थी दोनों स्तर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।

(i.) कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर

(ii.) कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर

MKA

(ख) प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि निम्नवत होगी–

i) प्राथमिक कक्षा (1 से 5) – 2 घंटा 30 मिनट।

ii) उच्च प्राथमिक कक्षा (6 से 8) – 2 घंटा 30 मिनट।

iii) दृष्टि बाधित दिव्यांग, सी.पी. (Cerebral Palsy) दिव्यांग एवं दोनों हाथों से दिव्यांग अभ्यर्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा एवं Scribe की व्यवस्था की जाएगी।

(ग) परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों की होगी और इसमें अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी।

(घ) कक्षा 1 से 5 के लिए पात्रता जाँच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा :

खण्ड	विषय	बहु–विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
I.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य)	30	30
II.	**भाषा–I** हिन्दी / संस्कृत / उर्दू / अंग्रेजी में से कोई दो भाषा (सहायक आचार्य (उर्दू) / विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू)) के लिए उपर्युक्त में से एक विषय उर्दू का चयन अनिवार्य होगा।)	**30**	**30**
III.	**भाषा–II** नियमावली के अनुसूची–I में उल्लेखित क्षेत्रीय / जनजातीय भाषाओं में से कोई एक भाषा।	30	30
	गणित	30	30
	पर्यावरण अध्ययन	30	30
	कुल–	**150**	**150**

नोटः **परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (कक्षा 1 से 5 के लिए) को झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा उनकी अर्हता के अनुरूप चयनित किये गये विकल्पों, यथा–सहायक आचार्य (कक्षा 1–5) / विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 1–5) / दोनों (सहायक आचार्य (कक्षा 1–5) एवं विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 1–5)) / सहायक**

आचार्य (उर्दू) (कक्षा 1–5) / विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 1–5) / दोनों (सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 1–5) एवं विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 1–5)) तथा चयनित भाषा–II का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

(ड़) कक्षा 6 से 8 के लिए निम्नवत् अहर्त्ता जाँच परीक्षा ली जाएगी :

खण्ड	विषय			बहु–विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
1	अनिवार्य	I.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य)	30	30
		II.	भाषा–I हिन्दी / संस्कृत / उर्दू / अंग्रेजी में से कोई दो भाषा (सहायक आचार्य(उर्दू) / विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू) के लिए उपर्युक्त में से एक विषय उर्दू का चयन अनिवार्य होगा।)	30	30
		III.	भाषा–II नियमावली के अनुसूची–I में उल्लेखित क्षेत्रीय / जनजातीय भाषाओं में से कोई एक भाषा।	30	30
2	वैकल्पिक	IV.	(a) गणित एवं विज्ञान शिक्षकः		
			गणित एवं विज्ञान से संबंधित प्रश्न	50	50
			कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी	10	10
			(b) सामाजिक विज्ञान शिक्षकः		
			समाज अध्ययन से संबंधित प्रश्न	50	50
			कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी	10	10
			(c) भाषा शिक्षक / अन्य शिक्षकः IV(a) अथवा IV(b) में से कोई एक		
			कुल–	150	150

नोटः परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (कक्षा 6 से 8 के लिए) को झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा उनकी

अर्हता के अनुरूप चयनित किए गए विकल्पों, यथा–सहायक आचार्य (कक्षा 6–8)/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 6–8)/दोनों (सहायक आचार्य (कक्षा 6–8) एवं विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 6–8)) सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 6–8)/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 6–8)/दोनों (सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 6–8) एवं विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 6–8)) चयनित भाषा–II तथा चयनित वैकल्पिक विषय (गणित एवं विज्ञान शिक्षक या सामाजिक विज्ञान शिक्षक) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

(च) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे और परीक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होगा। अन्य भाषा विषयों के प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होंगे।

(छ) प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों के अहर्ता जाँच परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होंगे। किन्तु इसकी कठिनाई का स्तर माध्यमिक/मैट्रिक या समकक्ष होगा।

(ज) उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों के अहर्ता जाँच परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होंगे। किन्तु इसकी कठिनाई का स्तर उच्चतर माध्यमिक/+2 या समकक्ष होगा।

(झ) परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं उसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा में वे शुद्ध–शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हों।

(ञ) परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु निम्नवत् प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा :–

क्र0	वर्ग	कुल प्राप्तांक न्यूनतम (प्रतिशत)
1	सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	60
2	पिछड़ा वर्ग–1/पिछड़ा वर्ग–2	55
3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह/दिव्यांग	52

12. परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार/परीक्षा प्राधिकार के द्वारा किया जायेगा।

13. परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत परीक्षा प्राधिकार के द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसकी वैधता आजीवन रहेगी। यह प्रावधान झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा–2013 एवं 2016 के प्रमाण–पत्र पर भी लागू होगा।

14. नियम–11 (ड़) के खंड–(2) (iv) के अधीन अंकित क्रमशः (a) एवं (b) श्रेणी में झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत गणित एवं विज्ञान सहायक आचार्य या सामाजिक विज्ञान या भाषा विषय सहायक आचार्य पद के विरूद्ध उसी अनुरूप नियुक्ति की परीक्षा में भाग ले सकेंगे, जैसा कि नियम–11 (ड़) के खण्ड–(2) (iv) में वैकल्पिक विषय के रूप में परीक्षा दी है।

15. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर सहायक आचार्य/विशेष शिक्षा सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति का दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा। यह मात्र एक पात्रता जाँच परीक्षा है।

16. शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकार नियमानुसार वार्षिक अथवा द्विवार्षिक अवधि पर परीक्षा आयोजित करने हेतु उत्तरदायी होगा।

17. पात्रता परीक्षा में कदाचार के आरोपित अभ्यर्थी को अगले दो परीक्षा तक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित करने का अधिकार परीक्षा प्राधिकार को होगा।

18. पात्रता परीक्षा से संबंधित सभी अभिलेखों को न्यूनतम सात साल तक सुरक्षित/ संधारित करने का दायित्व परीक्षा प्राधिकार का होगा।

19. माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 1385/2025, ANJUMAN ISHAAT-E-TALEEM TRUST Vs. THE STATE OF MAHARASHTRA & ORS. एवं समरूप वाद में दिनांक 01.09.2025 को सेवारत शिक्षकों के संबंध में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लागू होने के संबंध में पारित आदेश के अनुपालन में मानव संसाधन विकास विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड सरकार की अधिसूचना सं. 1632 दिनांक 05.09.2012, जिसके द्वारा सर्वप्रथम झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू किया गया था, के पूर्व नियुक्त सहायक शिक्षकों/सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षकों), जिनकी सेवावधि दिनांक 01.09.2025 की तिथि को 05 वर्ष से अधिक शेष है अथवा सहायक शिक्षकों, जिनका पदोन्नति (ग्रेड–4 अथवा ग्रेड–7) के विरुद्ध दावा है, भी आयोजित झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लागू स्तर (प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर) में सम्मिलित हो सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक पाए जाने पर, सेवारत सहायक शिक्षकों/सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षकों) हेतु पुनः झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा।

माननीय उच्चतम् न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के संबंध में *R.P.(C) Diary No. 53434/2025, STATE OF U.P. Vs. ANJUMAN ISHAAT-E-TALEEM TRUST* एवं अन्य समरूप 35 पुनर्विचार याचिकाएँ दायर की गयी हैं, जिसमें पारित आदेश से राज्य सरकार का उपर्युक्त निर्णय प्रभावित होगा।

MKA

अध्याय–3 अन्यान्य

निरसन एवं व्यावृत्ति :

20. नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी, जो आवश्यक प्रतीत होता हो तथा ऐसी की गयी कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के अंग माने जायेंगे।

21. इस नियमावली के प्रभावी होने के तिथि से झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली–2019 (अधिसूचना संख्या–1603 दिनांक 04.10.2019), झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली–2022 (अधिसूचना संख्या–253 दिनांक 18.02.2022) एवं झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2024 (अधिसूचना संख्या–783 दिनांक 15.06.2024) को निरसित समझा जायेगा।

परन्तु, ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसे नियमों एवं आदेशों द्वारा या उनके अधीन की गयी कोई कार्रवाई, इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन किया गया था या की गयी समझी जायेगी, मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन वैसा कुछ भी किया गया था या वैसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

26/03/26

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक ....487 / राँची, दिनांक 26/03/2026

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 600 प्रतियाँ अविलम्ब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

26/03/26

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक ....487 / राँची, दिनांक 26/03/2026

प्रतिलिपि :– झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी

MKA

जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक ....487../ राँची, दिनांक 26/03/2026

प्रतिलिपि :— विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव

MKA

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

488
26/03/2026

—: संकल्प :—

विषय : **झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली–2026 की स्वीकृति के संबंध में।**

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(1) के प्रावधानों के आलोक में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तीर्णता की आवश्यक शर्त्त के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद् के पत्रांक–76–4/2010/*NCTE / Acad* दिनांक 11.02.2011 के द्वारा निर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन से संबंधित मार्गनिदेश निर्गत है। पूर्व में अधिसूचना संख्या–1632 दिनांक 05.09.2012 से उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु निर्गत नियमावली के आलोक में वर्ष 2013 एवं 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई।

2. राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु पुनः अधिसूचना संख्या–1603 दिनांक 04.10.2019 से झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली–2019 निर्गत की गई। इस नियमावली में अधिसूचना संख्या–253 दिनांक 18.02.2022 से प्रथम संशोधन एवं अधिसूचना संख्या–783 दिनांक 15.02.2024 से द्वितीय संशोधन की कार्रवाई की गई। इस आलोक में परीक्षा आयोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–30/2024 पर विभिन्न स्रोत से कतिपय आपत्ति के आलोक में नियमावली में संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। तदनुसार विज्ञापन संख्या–30/2024 को विभागीय पत्रांक–704 दिनांक 23.05.2025 से रद्द किया गया।

3. यह मामला *WP(S) No.-5355/2025* में दिनांक 25.09.2025 को पारित आदेश से आच्छादित है।

4. कंडिका–2 में वर्णित स्थिति में झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली–2026 का प्रारूप तैयार किया गया। झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली–2026 के गठन एवं इससे संबंधित अधिसूचना प्रारूप पर विधि विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की सहमति प्राप्त है।

5. उक्त नियमावली के गठन के प्रस्ताव एवं अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

6. स्वीकृति के आलोक में अधिसूचना संख्या–487 दिनांक 26.03.2026 निर्गत है।

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प एवं संलग्न अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।**

26/03/26

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 8/वि.–04/2018..488..
रॉंची, दिनांक 26/03/2026

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 500 प्रतियाँ अविलंब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

26/03/26

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव।

अनुसूची–I
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली–2026 के अंतर्गत जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाओं की सूची।

क्र.सं.	जिला का नाम	जनजातीय भाषा	क्षेत्रीय भाषा
1	राँची	कुडुख (उराँव), मुण्डारी (मुण्डा), खड़िया, भूमिज	नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, बंगला
2	लोहरदगा	कुडुख (उराँव)	नागपुरी
3	गुमला	कुडुख (उराँव), खड़िया	नागपुरी
4	सिमडेगा	कुडुख (उराँव), मुण्डारी (मुण्डा), खड़िया	नागपुरी
5	प० सिंहभूम	संथाली, कुडुख (उराँव), मुण्डारी (मुण्डा), हो	कुरमाली, उड़िया
6	पूर्वी सिंहभूम	संथाली, कुडुख (उराँव), हो, मुण्डारी, भूमिज	कुरमाली, उड़िया, बंगला
7	सरायकेला	मुण्डारी (मुण्डा), हो, संथाली, भूमिज	पंचपरगनिया, उड़िया, बंगला, कुरमाली
8	लातेहार	कुडुख (उराँव)	नागपुरी
9	पलामू	कुडुख (उराँव)	नागपुरी
10	गढ़वा	कुडुख (उराँव)	नागपुरी
11	दुमका	संथाली	खोरठा, बंगला
12	जामताड़ा	संथाली	खोरठा, बंगला
13	साहेबगंज	संथाली	खोरठा, बंगला
14	पाकुड़	संथाली	खोरठा, बंगला
15	गोड्डा	संथाली	खोरठा
16	हजारीबाग	संथाली, कुडुख (उराँव)	नागपुरी, खोरठा, कुरमाली
17	कोडरमा	संथाली	कुरमाली, खोरठा
18	चतरा	संथाली, कुडुख (उराँव), मुण्डारी	नागपुरी, खोरठा
19	बोकारो	संथाली	नागपुरी, बंगला, कुरमाली, खोरठा
20	धनबाद	संथाली	नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, बंगला
21	गिरिडीह	संथाली	खोरठा, कुरमाली
22	देवघर	संथाली	खोरठा
23	रामगढ़	संथाली, कुडुख (उराँव)	नागपुरी, कुरमाली, खोरठा
24	खूँटी	कुडुख (उराँव), खड़िया, मुण्डारी	नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली

MKA